

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

संख्या :- 106/2024 ज०प०

पंजीबद्ध गत क्षेत्रीय कार्यालय - करेडा

बनाम

पंजीबद्ध गत क्षेत्रीय कार्यालय - करेडा

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 12/02/24

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ~~राशि~~ पटवार हल्का ~~ज०प०~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या ~~153~~ आराजी नम्बर 1536/441,

कुलकिता 1 रकबा 8852 हैक्टयर भूमि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन की विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्राथी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20/02/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी दिंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~राशि~~ पटवार हल्का ~~ज०प०~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या ~~153~~ नम्बर 1536/441,

कुलकिता 1 रकबा 8852 हैक्टयर भूमि पर सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक को 550/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर गण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा
जिला भीलवाडा

तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा
जिला भीलवाडा